संख्या-13/2026/261/2026/002-12-5099-17-2026

प्रेषक,

लाल बहादुर यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 17 मार्च, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थत्यवस्था तथा सांख्यिकी, 03-कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-एस-3070/2025-26/लेखा०/कृ०सु०पुनर्विनियोग, दिनांक 26 फरवरी, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थत्यवस्था तथा सांख्यिकी, 03-कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना के मानक मद 06-अन्य भत्ता में रू० 1.08 लाख (रूपये एक लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि को संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1) पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित **आर.ई.संख्या-बजट-1-483, दिनांक 13.03.2026** में प्रदत्त सहमति के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. योजनान्तर्गत जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
4. प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
5. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्य में आहरित कर व्यय की जायेगी
6. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
7. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्दशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,08,000 (रुपये एक लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना **मानक मद** 06 अन्य भत्ते के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

संख्या-13/2026/261(1)/2026/002-12-5099-17-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20252026-12-5099-17-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि आंकड़ों मे सुधार हेतु प्रायोजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001110300 (कृषि आकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना)	01 (वेतन)	13,82,74,000 रुपये तेरह करोड़ बयासी लाख चौहत्तर हजार मात्र	1,08,000 रुपये एक लाख आठ हजार मात्र	-1,08,000 रुपये एक लाख आठ हजार मात्र	108000	13816000	2025-2026

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001110300 (कृषि आकड़ों मे सुधार हेतु प्रायोजना)	06 (अन्य भत्ते)	0 शून्य	1,08,000 रुपये एक लाख आठ हजार मात्र	108000	108000	2025-2026

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1-स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-

अ- वास्तविक मांग के आधार पर बचत है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में वास्तविक आवश्यकता के कारण अनुदान की आवश्यकता है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर है- बजट-1-483 -2025-26, दिनांक 13 मार्च, 2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(लाल बहादुर यादव)

विशेष सचिव।

Digitally signed by RAHUL KUMAR

Date: 13-03-2026 12:38:08

अपर मुख्य सचिव,

वित्त विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-A012-20252026-12-5099-17-2026, दिनांक 13 मार्च, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(लाल बहादुर यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।